

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/बांसवाडा/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 28/11/16

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.2016 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मन्दिर, बांसवाडा को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्द्रपोल गेट में किए गए समन्वयन से एतद्द्वारा पृथक किया जाता है।

शेष शर्तें विभाग के उक्त आदेश दिनांक 22.06.2016 के अनुसार यथावत रहेंगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,
(एन.एल. जेवरिया)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
12. जिला कलेक्टर, बांसवाडा।
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
14. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, संभाग उदयपुर।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा।
16. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, शिक्षा